(42)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3152 दिनांक : 5/8/14

आदेश

सां. आ. 87 / 2014. राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 अध्याय–3क के उपबन्धों के अनुसार मतों को इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों द्वारा निर्धारित रीति से डाले और रिकार्ड किये जाने के प्रावधान विहित किए हुए हैं और उक्त नियमों के नियम 32–क के उपनियम (क) के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों और उनके चिन्हों को अन्तर्विष्ट करने वाला मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतपत्र यूनिट में लगाया जायेगा और चूंकि उक्त नियमों के नियम 34–क के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाये। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 3058 दिनांक 28.10.1999 (सांविधिक आदेश संख्या 26 / 99) द्वारा ऐसे मतपत्र हेतु प्ररूप विहित किया हुआ है।

राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए)( )Rules / DLB / 14 दिनांक 11 जुलाई 2014 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 34 ए के उप नियम (2), (5), एवं (6) में 'नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं)' का विकल्प जोड़ने के लिए संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के प्रभाव में आने से पूर्व विहित प्ररूप में संशोधन किया जाना आवश्यक हैं। अतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 34–क (1) के उपबन्धों के अनुसरण में आयोग द्वारा अपने आदेश क्रमांक 3058 दिनांक 28.10.1999 (सांविधिक आदेश संख्या 26 / 99) को अतिक्रमित करते हुए मतदान यूनिट मे प्रदर्शित किये जाने वाले मतपत्र का प्ररूप निम्न प्रकार विहित करता है :–

1. मतपत्र की कुल लम्बाई 460 मिलीमीटर होगी और उसकी चौड़ाई 138 मिलीमीटर होगी।
2. मतपत्र के ऊपर 7.50 मिलीमीटर ऊंचाई में और 138 मिलीमीटर चौड़ाई में खाली जगह होगी।
3. उक्त मद संख्या–2 में वर्णित मतपत्र के ऊपर खाली जगह के ठीक नीचे एक मिलीमीटर की आर–पार मोटी लाईन होगी।
4. उक्त मद संख्या–3 में वर्णित लाईन के नीचे प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा उसे आवंटित प्रतीक प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए पृथक् पैनल में मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नाम के नीचे नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक भी पृथक् पैनल में मुद्रित होगा।
5. प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी एवं नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प का पैनल 27.5 एम.एम. ऊंचाई में और 138 एम.एम. चौड़ाई के आकार में होगा।
6. अभ्यर्थियों के पैनल एक दूसरे से एक एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किये जायेंगे तथा अंतिम अभ्यर्थी एवं नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प का पैनल भी एक दूसरे से 1 एमएम मोटी लाईन से पृथक् किया जाएगा।
7. मतपत्र का क्रम संख्यांक, निर्वाचन की विशिष्टयॉ तथा शीट नम्बर मतपत्र के बांयीं और एक आड़े कॉलम (Vertical Coulmn) में मुद्रित किये जायेंगे और ऐसे आडे कॉलम को अभ्यर्थियों के नाम व नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प तथा चिन्हों वाले पैनल से एक मोटी लाईन से पृथक् किया जायेगा।
8. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र में उसी क्रम में आयेंगे जिस क्रम में वे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में वर्णित हैं। चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों के अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प उपलब्ध होगा।
9. जहां चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प सहित 16 या इससे कम है वहां अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र की एक शीट पर व्यवस्थित किये जायेंगे। यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प सहित 16 से कम है तो नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प के पैनल से नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा। यदि अभ्यर्थियों की संख्या नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प सहित 32 से कम है तो द्वितीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के

(43)

पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा। इसी प्रकार मतपत्र की तृतीय व चतुर्थ शीटों में भी ऐसे मामलों में किया जायेगा।

10. यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प सहित 16 से अधिक है और 32 या इससे कम हैं तो मतपत्र दो शीटों में मुद्रित होगा। यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प सहित 32 से अधिक और 48 या इससे कम है तो मतपत्र तीन शीटों में मुद्रित होगा और जहाँ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्सर्थियों की संख्या नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प सहित 48 से अधिक और 64 या इससे कम है तो मतपत्र चार शीटों में मुद्रित होगा। ऐसे प्रकरण में जहां मतपत्र एक से अधिक शीटों में मुद्रित होता है वहां क्रम संख्या 1 से 16 तक के अभ्यर्थियों के नाम प्रथम शीट में मुद्रित होंगे। क्रम संख्या 17 से 32 तक के अभ्यर्थियों के नाम द्वितीय शीट में मुद्रित होंगे, क्रम संख्या 33 से 48 तक के अभ्यर्थियों के नाम तृतीय शीट मुद्रित होंगे और 49 से 64 तक के नाम चतुर्थ शीट में मुद्रित होंगे। अभ्यर्थियों की उक्त गणना में नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प को भी सम्मिलित किया जाएगा।
11. यदि मतपत्र की एक से अधिक शीट होती है वहां मद संख्या 7 में वर्णित आड़े कॉलम, जिसमें कि मतपत्र का क्रम संख्यांक और निर्वाचन की विशिष्टयॉ अंकित करने के लिये स्थान छोड़ा गया है, में ही शीट की क्रम संख्यांक दर्शित करते हुए शब्द व अंक मोटे अक्षरों में यथा शीट नम्बर–1, शीट नम्बर–2 आदि मुद्रित किया जायेगा।
12. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखे जायेंगे। निर्वाचन की विशिष्टयॉ हिन्दी में देवनागिरी लिपि में रखे जायेंगे।
13. अभ्यर्थियों के लिये निर्दिष्ट पैनल में बांई ओर अभ्यर्थियों का नाम मुद्रित होगा तथा पैनल में दांई ओर उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प बांई ओर तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक दांई ओर होगा।
14. मतपत्र सफेद कागज पर मुद्रित होगा।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश बसवाला) 05/08/14
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3153-3161

दिनांक : 5/8/14

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राजय निर्वाचन आयोग।
4. समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलेक्टर) राजस्थान।
5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज0, जयपुर।
6. समस्त निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका चुनाव) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
7. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को राजपत्र के भाग 6(क) में प्रकाशित कर 50 प्रतियां आयोग को भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. निजी सहायक, उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग।
9. गार्ड फाईल।

5/8/2014

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

F:\Sanjay\GOPI'S DATA\NP\F1(2)(1)NP-PANCHA S.O. SEC 14.doc